प्रिय छात्र / छात्रा.

समावेशी शिक्षा भाग- 3 "शिक्षा में समावेशन" के अंतर्गत शिक्षा में समावेशन की अवधारणा, समावेशित शिक्षा का प्रारम्भ, समावेशित शिक्षा का अर्थ, समावेशित शिक्षा क्यों आवश्यक है, समावेशित शिक्षा का महत्त्व, समावेशित शिक्षा का दर्शन, समावेशित शिक्षा के सिधान्त, समावेशित शिक्षा के संघटक, समावेशित शिक्षा का लाभ, समावेशित शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान, नीतियाँ, कार्यक्रम तथा अधिनियम एवं समावेशित शिक्षा में मुद्दों से सम्बंधित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की गयी है जो अवश्य ही आप सब के लिए उपयोगी साबित होगी।

प्रस्तुत सामग्री में मानवीय त्रुटियाँ स्वाभाविक हैं अत: आप सब से अनुरोध है की त्रुटियों से मुझे अवगत कराते हुए उपयोगी पाठ्य-सामग्री से लाभन्वित हों।

धन्यवाद...!

-आभा द्विवेदी मो०- 8577098888

शिक्षा में समावेशन

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा का इतिहास विशेष विद्यालय से एकीकृत शिक्षा होते हुए अब समावेशी शिक्षा तक आ पहुंचा है। शिक्षा में समावेशन से तात्पर्य है कि सभी बच्चों की शिक्षा एक साथ, एक ही विद्यालय में हो, इसे ही दूसरे शब्दों में हम समावेशित शिक्षा कहते हैं।

शिक्षा में समावेशन की अवधारणा:

शिक्षा में समावेशन की अवधारणा की शुरुआत इस आधार पर हुआ कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मूल अधिकार है और प्रत्येक बच्चे की अलग विशेषताएं, रुचियां, योग्यताएं और आवश्यकताएं होती हैं जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। शिक्षा में समावेशन को हम सामान्य भाषा में समावेशित शिक्षा कहते हैं।

समावेशित शिक्षा का प्रारंभ:

समावेशी शब्द का प्रचलन 1990 के दशक के मध्य से बढ़ा, जब जून, 1994 में सलमानका (स्पेन) में यूनेस्को द्वारा "विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष विश्व सम्मेलन: सुलभता और क्षमता" का आयोजन हुआ।

इस सम्मेलन में 92 देशों और 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का समापन इस उद्घोषणा के साथ हुआ कि "प्रत्येक बच्चे की चरित्रगत विशिष्ठताएँ, रुचियां, योग्यता एवं सीखने की आवश्यकताएँ अनोखी होती हैं, अतः शिक्षा प्रणाली में इन विशिष्ठताओं और आवश्यकताओं की व्यापक विविधता का ध्यान रखना चाहिए"।

समावेशित शिक्षा का अर्थ:

एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि समावेशित शिक्षा से तात्पर्य केवल विकलांग बच्चों को ही सामान्य बच्चों के साथ एक ही कक्षा में शिक्षा देना नहीं है बल्कि सभी बच्चे जो विभिन्न वर्ग एवं योग्यता के हैं को एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षा देना समावेशित शिक्षा कहलाता है।

समावेशी शिक्षा की आवश्यकता:

- क्योंकि सभी बच्चे चाहे वह कैसी भी आवश्यकता वाले हों, एक ही समाज में रहना है। अतः शुरू से ही एक साथ रखने में उनको समाज में रहने में आसानी होगी।
- क्योंकि सामान्य विद्यालय सभी जगह है जबिक विशेष विद्यालय दूर शहरों
 में होते हैं। अतः एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को विद्यालय जाने के लिए
 दूर तक सफर करना पड़ता है जो कि उस बच्चे के मूल अधिकार का हनन है।

समावेशी शिक्षा का महत्व:

प्रत्येक राष्ट्र अपने यहां के सभी लोगों को साक्षर बनाने का प्रयास करता है ताकि राष्ट्र की उन्नत हो सके। यह बात तो सिद्ध है कि जिस राष्ट्र में ज्यादातर लोग-पढ़े लिखे हैं वह राष्ट्र ज्यादा उन्नति कर रहा है तथा जिस राष्ट्र के कम लोग शिक्षित हैं वह राष्ट्र गरीब है।

अतः समावेशित शिक्षा होने से सभी प्रकार के बच्चे अपने पास के स्कूल में जाकर पढ़ सकते हैं। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पहले विशेष स्कूल दूर होने के कारण शिक्षा पाने से वंचित रह जाते थे वे अब समावेशी शिक्षा के आने से पास के स्कूल में ही दूसरे बच्चों के साथ अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। सभी प्रकार के बच्चों के शिक्षा ग्रहण करने पर उस राष्ट्र की साक्षरता दर बढ़ेगी तथा भविष्य में वह राष्ट्र अवश्य विकसित राष्ट्र बनेगा।

समावेशी शिक्षा का दूसरा महत्व यह है कि जब एक ही स्कूल में नि:शक्त बच्चे एवं सामान्य बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें बचपन से ही एक दूसरे की किमयां एवं क्षमताएं जानने का मौका मिलेगा तथा सामान्य बच्चों में नि:शक्त बच्चों के प्रति रूढ़िवादी विचारधारा दूर होगी वहीं नि:शक्त बच्चे सामान्य बच्चों के अच्छे व्यवहारों को सीख सकते हैं।

समावेशित शिक्षा का दर्शन:

समावेशी शिक्षा का मूल दर्शन है कि "बच्चे जो एक साथ रह कर सीखते हैं, एक साथ रहकर जीना सीखते हैं।"

समावेशी शिक्षा का दर्शन इस विश्वास पर आधारित है कि सभी व्यक्ति समान हैं तथा प्रत्येक मानव के मूल अधिकारों को सम्मान एवं महत्व देना चाहिए। समावेशी शिक्षा मानवाधिकार शिक्षा को दर्शाता है।

समावेशी शिक्षा के दर्शन के अंतर्गत स्कूल को एक समुदाय के रूप में संगठित किया जाता है जहां सभी बच्चे एक साथ रहना सीख जाएंगे तो भविष्य में एक साथ रहकर जीवन निर्वाह करने में कोई परेशानी नहीं होगी।

समावेशी शिक्षा का सिद्धांत:

समावेशित शिक्षा का मूल सिद्धांत यह है कि "प्रत्येक बच्चे को समान अवसर, अधिकार एवं भागीदारी मिलनी चाहिए।" इसके अतिरिक्त समावेशित शिक्षा का महत्वपूर्ण सिद्धांत है-

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करना।

- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति उत्तरदायित्व व सहयोग में सभी कार्यकर्ताओं की साझेदारी।
- समुदाय की भागीदारी एवं सहायता सुनिश्चित करना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के परिवार एवं सामाजिक वातावरण के बारे में जानकारी रखना।
- प्रत्येक बच्चे को यह अवसर मिलना चाहिए कि वह अर्थपूर्ण चुनौतियों का सामना करें, चयन करें व जिम्मेदारी ले। दूसरों के साथ सहभागिता के साथ अन्तर्किया करें व शैक्षिक प्रक्रिया की सभी विकासशील शैक्षिक व आंतरिक व अतैयक्तित्व गतिविधियों में भाग ले।

शिक्षा में समावेशन के संघटक:

संघटक से तात्पर्य होता है, किसी वस्तु का मूल भाग, जैसे- किसी स्कूल के संघटक की बात करें तो वह संघटक हो सकते हैं- कमरा, श्यामपट्ट, कुर्सी, मेज, छात्र, शिक्षक इत्यादि। शिक्षा में समावेशन के प्रमुख संघटक निम्नलिखित हैं:

• उपयुक्त सहायता एवं सेवाएं-

समावेशित शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के आवश्यकतानुसार सहायता एवं सेवाएं होती हैं, ये सहायता बच्चों को स्वयं मिलती हैं ना कि बच्चे को सहायता के लिए कहीं जाना पड़ता है।

• सक्रिय भागीदारी-

समावेशी शिक्षा में सभी कार्य इस प्रकार बनाए गए होते हैं जिसमें सामान्य बच्चे एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सक्रिय भागीदारी निभा सकें।

उद्देश्य-

समावेशी शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को सामान्य पाठ्यक्रम से ही पढ़ाना होता है अर्थात विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए कोई अलग पाठ्यक्रम नहीं होता है।

कक्षा-

समावेशित शिक्षा में कक्षाएं बच्चों के आवश्यकतानुसार रूपांतरित होती हैं, जिससे बच्चे के समावेशन में आसानी हो। समावेशन के लिए बच्चों में कोई पूर्वपेक्षा की जरूरत नहीं होती है।

• सहयोग एवं टीम योजना-

समावेशित शिक्षा में सहयोग एवं टीम योजना एक महत्वपूर्ण संघटक है। इससे तात्पर्य है कि सामान्य अध्यापक, विशेष अध्यापक, मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर, प्रधानाध्यापक, स्टाफ के लोग इत्यादि को मिलकर एक साथ एक टीम के रूप में कार्य करने पर ही शिक्षा में समावेशन सही रूप से होता है।

श्रमावेशी शिक्षा के लाभ:

समावेशित शिक्षा के मुख्यतः का चार लोग प्रभावित होते हैं, वह हैं-

1) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए लाभ-

- जब एक विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी को सामान्य विद्यालय की कक्षा में रखा जाता है तो उस विद्यार्थी में अपने प्रति बहुत सारी सकारात्मक बातें आती हैं। विशिष्ट रूप से यह परंपरागत विशेष शिक्षा के कक्षा के वातावरण की तुलना में ज्यादा प्रेरक वातावरण प्रदान करता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए यह वातावरण प्रायः सीखने एवं विकास करने में अग्रणी भूमिका निभाता है।
- विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी जिनको समावेशित शिक्षा में रखा जाता है वे अनुदेशात्मक समय में ज्यादा व्यस्त रहते हैं जिस कारण शैक्षिक क्रियाओं में ज्यादा प्रदर्शन कर पाते हैं।

- विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को नए दोस्त बनाने एवं अपने अनुभवों को बांटने का मौका मिलता है, जो कि विशेष विद्यालय में नहीं हो पाता है।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अपने उम्र के बच्चों के साथ दोस्ती विकसित करते हैं, जो विद्यालय में और विद्यालय के बाहर समुदाय में उनके साथी समूह द्वारा स्वीकृत करने में अग्रसर भूमिका निभाता है।
- समावेशित शिक्षा में आकर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अपने आप को व्यक्ति के रुप में ज्यादा अभिज्ञ रखते हैं तथा लेबलिंग (वर्गीकरण) की चिंता कम हो जाती है।
- समावेशित शिक्षा से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान बढ़ता है। जब वे सामान्य विद्यार्थी एवं शिक्षक से संपर्क स्थापित करना शुरू करते हैं तो वह अपने आप को योग्य महसूस करना शुरु कर देते हैं।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अपने आप को ऐसे व्यक्ति के रुप में देखने लगते हैं, जो अपने अनुभवों को अपने दोस्तों के साथ बाँट कर आनंद प्राप्त करता है जबिक यही अनुभव उसे विशेष विद्यालय में अच्छे नहीं लगते थे।
- समावेशित शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मानक टेस्ट स्कोर,
 पढ़ने की क्षमता और ग्रेड को बढ़ाता है।
- समावेशी शिक्षा में रहकर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे संप्रेषण कौशल एवं सामाजिक योग्यता सीखते हैं।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में अवांछित व्यवहार कम होते हैं तथा सामाजिक वांछनीय व्यवहार विकसित होते हैं।

- विशेष आवश्यकता वाले बच्चे नये अविष्कारों, तकनीकियों और सामान्य ज्ञान से अवगत होते हैं।
- जीवन में आगे क्या करना है, कौन सी नौकरी करनी है, इत्यादि बातें
 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य बच्चों से चर्चा करके निश्चित तौर पर कर सकते हैं।

2) सामान्य बच्चों के लिए लाभ-

- समावेशी शिक्षा के कारण सामान्य बच्चों को विभिन्न प्रकार के बच्चों से मिलने व उनको स्वीकार करने की आदत बचपन से पड़ जाती है। सामान्य बच्चे व्यक्तिगत विभिन्नता तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकताएं एवं उनसे किस प्रकार का व्यवहार किया जाए समझने लगते हैं।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संपर्क में आने से सामान्य बच्चे सीख जाते हैं कि बौद्धिक, शारीरिक एवं भावनात्मक अंतर सभी के जीवन का एक भाग है। जिससे उन्हें भविष्य में ऐसे लोगों से संपर्क बनाने में आसानी होगी।
- समावेशित शिक्षा में सामान्य विद्यार्थी समाज की विविधताओं को कक्षा में एक छोटे पैमाने पर देखने लगते हैं जिससे भविष्य में, समाज के ऐसे लोगों को सहन एवं सम्मान करने का अनुभव हो जाता है।
- सामान्य बच्चे अपने विशेष आवश्यकता वाले सहपाठी को अच्छी तरह जान-पहचान जाते हैं जिससे उनके मन में ऐसे बच्चों के प्रति बना डर वा भ्रम टूट जाता है तथा वे ऐसे बच्चों का धीरे-धीरे सम्मान करने लगते हैं।
- सामान्य बच्चे अपने विशेष आवश्यकता वाले सहपाठी के कमियों की तरफ संवेदना विकसित करना श्रू कर देते हैं और इनकी तरफ

- सहानुभूति रखने वाले कौशल विकसित करते हैं। ये कौशल सामान्य बच्चे के भावी जीवन में हर वक्त पर काम आते हैं।
- समावेशित शिक्षा में सामान्य विद्यार्थी कुछ महत्वपूर्ण कौशलों को सीखते हैं जो कि उनके भावी जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं जैसे-नेतृत्व, एक दूसरे की सहायता करना एवं पढ़ाने की योग्यता, परामर्शदाता, सिखाना, अधिकारिता तथा स्वाभिमान को बढ़ाना।
- समावेशित शिक्षा में सामान्य बच्चों को अक्सर शिक्षक की भूमिका अदा करने का अवसर मिलता है ताकि अपने विशेष आवश्यकता वाले सहपाठी को पढ़ा सकें तथा सहायता कर सकें। इससे सामान्य बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है जो उसके लिए खुद के लिए बहुत लाभदायक है।
- सामान्य बच्चे अपने विशेष आवश्यकता वाले सहपाठी के साथ रहने के अनुभव के आधार पर समाज एवं स्कूल के बीच संपर्क स्थापित करने में मदद कर सकते हैं।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के उत्तरदायित्व को संभालते हुए सामान्य बच्चे वयस्क होकर समाज के उत्तरदायित्व को संभालने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं।
- समावेशित शिक्षा के सामान्य बच्चों में सकारात्मक सोच, अनुकरणीय
 व्यवहार, स्वीकृति, धैर्य, साहन एवं मित्रता आदि कौशलों का विकास होता है।

3) सामान्य शिक्षक के लिए लाभ-

 समावेशित शिक्षा से सामान्य शिक्षक यह स्वीकार करने लगते हैं कि सभी विद्यार्थियों में कुछ ना कुछ गुण होता है और यह गुण मिलकर एक अच्छे कक्षा के निर्माण में सहायक होता है तथा शिक्षक को कक्षा प्रबंधन में आसानी होती है।

- समावेशित शिक्षा में सामान्य शिक्षकों में यह जानकारी उत्पन्न होती है
 कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है तथा कैसे अलग-अलग लोगों से अलग-अलग व्यवहार करके एक अच्छा कक्षीय वातावरण बनाएं।
- समावेशित शिक्षा के कारण सामान्य शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए नए शैक्षिक तकनीक सीखते हैं जो उनकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होता है।
- समावेशित शिक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए परंपरागत शैक्षिक प्रणालियों (जैसे- व्याख्यान विधि, नोट लिखना) का प्रयोग उपयुक्त नहीं होता है। अतः सामान्य शिक्षक अपने परंपरागत शैक्षिक प्रणाली को छोड़कर रचनात्मक तथा नए शैक्षिक प्रणाली से अपने कक्षा में पढ़ाते हैं जिससे उनकी कक्षा के सभी विद्यार्थी रूचि पूर्वक शिक्षा ग्रहण करते हैं।
- समावेशित शिक्षा सामान्य शिक्षक को सामूहिक कार्य कौशल विकसित करने का मौका देती है।
- सामान्य शिक्षक समावेशित शिक्षा के कारण विभिन्न प्रकार के प्रोफेशनल जैसे- मनोवैज्ञानिक, विशेष शिक्षक आदि से मिलते हैं जिससे उनके ज्ञान में भी वृद्धि होती है।
- सामान्य शिक्षक जो समावेशित शिक्षा अथवा समावेशित स्कूल में कार्य करते हैं उनमें समस्या समाधान कौशल, समस्या को अलग तरह से सोचने की तथा मनोबल बढ़ाने की कौशल का होना पाया जाता है।
- सामान्य शिक्षक को प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुदेशन का महत्व समावेशित
 शिक्षा में रहकर पता चलता है।
- समावेशी शिक्षा में कार्य करने वाले शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले
 बच्चों की आवश्यकता को समझ कर उसे अपने दूसरे साथियों के साथ

बांटते हैं जिससे ऐसे बच्चों के प्रति फैली गलत धारणाएं कम हो जाती हैं।

 सामान्य शिक्षक विभिन्न प्रकार के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संपर्क में रहते हैं जिसका प्रभाव समाज पर भी पड़ता है। समाज में भी वह किसी के साथ आसानी पूर्वक रह सकते हैं।

4) माता-पिता के लिए लाभ:

- माता-पिता अपने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को घर के पास के स्कूल में दाखिला मिलने से हमेशा उनसे संपर्क में रहते हैं जिससे उन्हें खुशी का अनुभव होता है, जो विशेष शिक्षा के अंतर्गत नहीं होता था।
- सभी माता-पिता की इच्छा होती है कि उसके बच्चे को उसके मित्र समूह द्वारा स्वीकार किया जाए, समावेशित कक्षा में अपने बच्चों को इस प्रकार देखकर उन्हें सपने पूरे होने जैसा लगता है।
- जब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य जीवन व्यतीत करने लगते हैं तो उनके माता-पिता अपना ध्यान दूसरे कामों में भी लगा लेते हैं तथा समावेशी शिक्षा के कारण उन्हें यह अहसास होने लगता है कि उनका बच्चा भी सामान्य बच्चों जैसा ही है।
- समावेशित शिक्षा की वजह से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता-पिता में अपने बच्चों के अधिकारों को समझने में आसानी होती है।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए दी जा रही अधिकतर सुविधाओं
 का ज्ञान भी माता-पिता को समावेशित शिक्षा के द्वारा होता है।
- समावेशित कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए विभिन्न उपकरणों को देखकर माता-पिता कुछ उपकरण घर पर भी खरीद कर लाते हैं जिससे उन्हें अपने बच्चों से अच्छी तरह संपर्क स्थापित करने में सहायता मिलती है।

- समावेशित शिक्षा में अपने बच्चे के उम्र के दूसरे सामान्य बच्चों की शारीरिक बुद्धिमत्ता इत्यादि देखकर अपने बच्चे में कहां कमी है यह बात माता-पिता आसानी से समझ जाते हैं तथा उसको दूर करने का प्रयास करते हैं।
- विद्यालय में जब शिक्षक और माता पिता के बीच मीटिंग होती है तब उस समय विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के माता-पिता उसी कक्षा के सामान्य बच्चे के माता-पिता से मिलकर उसके द्वारा बच्चे के विकास के लिए किए गए कार्यों को समझकर अपने विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ भी वैसा करने का प्रयास कर सकते हैं ताकि उसमें भी वैसे ही विकास हो जैसे सामान्य बच्चे में है।

Ф संवैधानिक प्रावधान, नीतियां, कार्यक्रम तथा अधिनियम:

अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य-

अंतरराष्ट्रीय संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र ने नि:शक्त लोगों की आवश्यकताओं तथा उनकी उत्कृष्ट शिक्षा एवं जीवन पर अपना प्रयास केंद्रित किया है।

नि:शक्तजन अधिकार की घोषणा 9 दिसंबर, 1975 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा की घोषणा थी। विशेष आवश्यकता शिक्षा विश्व सम्मेलन, सलमानका, 1994 तथा नि:शक्तजन अधिकार की संयुक्त राष्ट्र परिषद (यू एन काउंसिल ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज (यू.एन.सी.आर.पी.डी.), 2006 समावेशन के पथ तथा नि:शक्त लोगों के सशक्तिकरण में वैश्विक प्रयास में मील के पत्थर हैं।

भारतीय परिदृश्य-

अपने देश के इतिहास में पीछे देखने पर स्वतंत्रतापूर्वक लिखित सार्जेन्ट रिपोर्ट, 1944 तथा कोठारी आयोग (1964-66), अन्य बच्चों के साथ नि:शक्त बच्चों के समाकलन के सरकार के उपागम को सूचित करते हैं।

इसकी पुनरोक्ति राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में की गई थी। भारतीय पुनर्वास परिषद (आर.सी.आई.) अधिनियम (1992) तथा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम (1999) इस क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रमुख विधान थे।

नि:शक्तजन अधिनियम (पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट), 1995 निःशक्त लोगों के कल्याण में विधान के मार्ग में मील का पत्थर है। इस अधिनियम को नि:शक्तजन अधिकार अधिनियम, 2016 द्वारा स्थापित कर दिया गया है।

संवैधानिक प्रावधान:

भारत के संविधान की प्रस्तावना में यह व्यक्त है कि- भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु सत्यनिष्ठापूर्वक वचनबद्ध हैं जो अपने सभी नागरिकों के न्याय, स्वतंत्रता, समानता के अधिकार एवं बंधुत्व को सुनिश्चित करता है। संविधान सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रत्याभूत करता है।

भारत के संविधान में विशेष प्रावधान है जो सामाजिक न्याय तथा "नि:शक्तजन" एवं अलाभवन्तित तथा सीमांतक समूहों सहित सभी नागरिकों के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करते हैं।

विधान, नीतियां एवं कार्यक्रम:

वर्षोपरांत भारत सरकार ने नि:शक्त बच्चों की शिक्षा एवं समावेशन की पूर्ति हेतु समर्पित विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं को प्रारंभ किया है। भारत

सलमानका घोषणा, 1994 का हस्ताक्षरी हुआ था इसके साथ विभिन्न कार्यालयी दस्तावेजों तथा भारत सरकार की रीपोर्टों में "समावेशी शिक्षा" पद सम्मिलित हुआ। सरकार द्वारा नि:शक्त लोगों के कल्याण हेतु अधिनियमों, नियमों तथा निर्देशों, नीतियों तथा दिशानिर्देशों के रूप में बहुत से प्रयास किए गए हैं।

नि:शक्त लोगों के अधिकारों की रक्षा हेतु वैधानिक ढांचा निम्नलिखित अधिनियमों द्वारा सम्मिलित किया जाता है-

- मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम (1987)- मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए बेहतर प्रावधान करने हेतु उनके उपचार एवं देखभाल से संबंधित नियम को संगठित एवं संशोधित करता है।
- भारतीय पुनर्वास परिषद- आर.सी.आई.अधिनियम, 1992 पुनर्वास सेवाओं को प्रदान करने हेतु मानव शक्ति के विकास का वर्णन करता है। संसद द्वारा 2000 में इस अधिनियम को व्यापक बनाने हेतु संशोधित किया गया था।

आर.सी.आई. पाठ्यवस्तुओं को मानकीकृत करती है तथा पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में सभी योग्यताधारी व्यावसायिकों एवं कार्यरत कर्मचारियों के केंद्रीय पुनर्वास पंजिका को भी रखता है। परिषद पुनर्वास व्यावसायिकों को एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण को नियंत्रित एवं पर्यवेक्षित, पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा में शोध को प्रोत्साहित भी करता है।

नि:शक्तजन (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा तथा पूर्ण सहभागिता)
 अधिनियम (पी.डब्ल्यू.डी. एक्ट- 1995)- यह प्रमुख अधिनियम है जो

नि:शक्त लोगों की शिक्षा, रोजगार, अवरोधमुक्त वातावरण का निर्माण, सामाजिक सुरक्षा आदि प्रदान करता है।

अधिनियम के अनुसार प्रत्येक नि:शक्त बच्चे को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक समुचित वातावरण में नि:शुल्क शिक्षा की पहुंच है। इस अधिनियम को नि:शक्तजन अधिकार अधिनियम, 2016 द्वारा विस्थापित कर दिया गया है।

 ऑटिज्म, मस्तिष्काघात, मानसिक मंदता तथा बहुनि:शक्तजन कल्याण राष्ट्रीय न्यास अधिनियम (राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999)-अधिनियम में निःशक्तता के चारों वर्गों के अंतर्गत व्यक्तियों को विधिक संरक्षण तथा यथासंभव अधिकतम आत्मनिर्भर जीवन हेतु वातावरण को सक्षम करने की रचना के प्रावधान हैं।

मुख्य उद्देश्य यथासंभव पूर्ण आत्मनिर्भर जीवन हेतु नि:शक्त व्यक्तियों को सक्षम एवं सशक्त करना, आवश्यकता आधारित सेवाओं को प्रदान करने वाले पंजीकृत संगठनों को सहायता प्रदान करना तथा नि:शक्त लोगों हेतु ऐसे आवश्यक संरक्षण हेतु विभिन्न संरक्षकों की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया को विकसित करना है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (द राइट टू एजुकेशन एक्ट- आर.टी.ई. एक्ट), 2009- शिक्षा का अधिकार अधिनियम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम को तत्पश्चात 2012 में संशोधित किया गया, जो 1 अगस्त 2012 से प्रभाव में आया तथा नि:शक्त बच्चों से संबंधित प्रावधानों को धारण करता है जैसे-

- शिक्षा के अधिकार अधिनियम के भाग 2 उपबंध (डी) के अंतर्गत
 "अलाभवन्तित समूह से संबद्ध बच्चा" की परिभाषा में नि:शक्त
 बच्चों का समावेशन।
- नि:शक्त बच्चों (ऑटिज्म, मस्तिष्काघात, मानसिक मंदता तथा बहुनि:शाक्तता वाले बच्चों सहित) को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लेने का अधिकार होगा।
- निशक्तजन अधिकार अधिनियम (द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट (आर पी डब्ल्यू डी एक्ट), 2016- यह नि:शक्तजन अधिकार अधिनियम, 2016 विद्यमान पी.डब्ल्यू.डी.अधिनियम 1995 को विस्थापित करता है।

इस अधिनियम में नि:शक्त को एक विकासशील एवं गतिमान अवधारणा पर आधारित परिभाषित किया गया है। निःशक्तता के 7 प्रकारों को बढ़ाकर 21 कर दिया गया है तथा केंद्र सरकार को निःशक्तता के प्रकार में अन्य अधिक प्रकारों को जोड़ने का अधिकार है।

नवीन अधिनियम नि:शक्तजन अधिकार संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यू.एन.सी.आर.पी.डी.) के क्रम में है जिसका भारत केवल हस्ताक्षर ही नहीं है बल्कि पहले से देशों में अंगीकृत होने वालों में से एक है।

राष्ट्रीय कार्यक्रम-

निशक्त बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम लिखित हैं-

• सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए)-

सर्व शिक्षा अभियान नि:शक्त बच्चों की समावेशी शिक्षा को कार्यान्वित करने का प्रयास करता है तथा इन बच्चों हेतु बहु विकल्पों को प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में प्रत्येक बच्चे को क्षीणता के प्रकार, वर्ग तथा स्तर के विचार के बिना सार्थक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए।

यह विशेष तथा मुख्यधारा/नियमित विद्यालय से शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा (एजुकेशन गारंटी स्कीम/अल्टरनेटिव एन्ड इनोवेटिव एजुकेशन- ई.जी.एस./ए.आई.ई.) तथा गृह आधारित शिक्षा (एच.बी.ई.) तक एक वृहत विकल्पों को प्रदान करता है।

प्रत्येक जिले को समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध संसाधनों पर आधारित गतिविधियों की योजना हेतु आवश्यक लचीलापन प्रदान किया जाता है।

सर्व शिक्षा अभियान गृह आधारित शिक्षा की योजना के अंतर्गत गंभीर नि:शक्त बच्चों को आत्मनिर्भर जीवन कौशलों की प्राप्ति हेतु उनको सक्षम करने हेतु गृह आधारित तथा वैकल्पिक शैक्षिक व्यवस्था में शिक्षित किया जा सकता है।

 माध्यमिक स्तरीय निशक्तों हेतु समावेशी शिक्षा (इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसएबल एट सेकेंडरी स्टेज (आई.ई.डी.एस.एस.)-

माध्यमिक स्तरीय निःशक्तों हेतु समावेशी शिक्षा भारत सरकार की केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका लक्ष्य सभी निःशक्त विद्यार्थियों को एक समावेशी तथा सक्षम वातावरण में प्रारंभिक विद्यालय (कक्षा I-VIII) के आठ वर्षों की पूर्णता के पश्चात माध्यमिक विद्यालय अर्थात कक्षा IX से XII के चार वर्षों के अध्ययन हेतु सक्षम करना है।

माध्यमिक स्तरीय नि:शक्त हेतु समावेशी शिक्षा की योजना निःशक्त बच्चों हेतु समेकित शिक्षा की पूर्ववर्ती योजना को विस्थापित करते हुए 2009-10 में आरंभ किया गया। माध्यमिक स्तरीय निशक्तों हेतु समावेशी शिक्षा योजना माध्यमिक विद्यालयों से उत्तीर्ण सभी बच्चों तथा 14+ से 18+ की आयु समूह (कक्षा IX से XII) के सरकारी, स्थानीय निकायों तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर अध्यनरत सभी बच्चों को सम्मिलित करेगी।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.)-

माध्यमिक शिक्षा की पहुंच को बढ़ाने तथा इसकी गुणवत्ता को सुधारने के उद्देश्य के साथ मार्च, 2009 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना को प्रारंभ किया गया।

यह योजना सन 2017 तक 100% के सामान्य नामांकन दर तथा सन् 2020 तक सार्वभौमिक ठहराव की सुनिश्चितता के लक्ष्य के साथ निवास से उचित दूरी पर एक माध्यमिक विद्यालय प्रदान कर माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थी नामांकन की वृद्धि का लक्ष्य रखता है।

संवैधानिक प्रावधानों, अधिनियमों तथा नीतियों एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों से प्रमाणित है कि समावेशी शिक्षा के प्रति एक स्पष्ट गति के साथ इन सभी में नि:शक्त बच्चों की शिक्षा पर ध्यान है।

अत: ये कहना उचित होगा कि समावेशन का कार्य आरंभ हो चुका है यद्यपि हमारे लिए आगे रास्ता लंबा है।

🕮 समावेशित शिक्षा में मुद्दे:

समावेशित शिक्षा के कुछ प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं-

• समाज से संबंधित मुद्दे:

समावेशित शिक्षा में सबसे प्रमुख मुद्दा है नि:शक्तता के प्रति समाज के लोगों की नकारात्मक मनोवृति, जो कि समाज के सांस्कृतिक धारणा में गहराई तक समाहित है, उसको परिवर्तित करना एक मुश्किल कार्य है।

• वित्तीय संबंधी मुद्दे:

उपलब्ध संसाधनों के अलावा सभी देश विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय मुद्दों को लेकर ज्यादा चिंतित हैं, परंतु फिर भी इस क्षेत्र में वित्तीय संबंधी समस्या है। सामान्य स्कूलों को समावेशित स्कूल बनाने में ज्यादा पैसे की जरूरत है मगर विकासशील देशों में या गरीब देशों में पैसे की कमी होने के कारण समावेशित शिक्षा लाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हमारे देश में प्रत्येक बजट में शिक्षा के लिए धन का प्रावधान होता है, मगर इसका सही ढंग से उपयोग करना अभी भी सरकार के लिए समस्या बनी हुई है जिससे समावेशित शिक्षा प्रभावित होती है।

नीति संबंधी मुद्दे:

भारत में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए नीतियां हैं मगर इन नीतियों को कार्यान्वित करने में कई समस्याएं आती हैं जैसे- प्रशासनिक संरचना, समावेशी शिक्षा नीति आदि।

उपलब्धता एवं सुगमता संबंधी मुद्दे:

- स्कूल के भवन- समावेशी शिक्षा के लिए सर्वप्रथम आवश्यक तत्व है स्कूल के भवनों को अवरोध मुक्त करना। परंतु आज भी अधिकतर स्कूलों के भवन में ना तो रेलिंग है ना ही रैम्प। अतः एक अस्थि बाधित बच्चे को स्कूल में दाखिला देना संभव नहीं है। अर्थात जब तक स्कूल के भवनों का पुनः संरचना या परिवर्तन केवल दस्तावेजों पर ही रहेगा, व्यावहारिक नहीं हो पाएगा, तब तक समावेशित शिक्षा का पूर्ण होना कठिन कार्य है।
- पाठ्यक्रम- समावेशित शिक्षा में पाठ्यक्रम भी एक प्रमुख मुद्दा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाए बिना समावेशित शिक्षा सफलतापूर्वक संचालित नहीं हो पाएगा।

कुछ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य पाठ्यक्रम में परिवर्तन की जरूरत नहीं पड़ती है यह सामान्य बच्चों की तरह पाठ्यक्रम को समझ सकते हैं बस प्रस्तुत करने के तरीकों में परिवर्तन करना होता है जैसे- दृष्टिगत बाधित बच्चों के लिए ब्रेल लिपि में लिखे हुए विषय वस्तु जो श्यामपट्ट पर लिखे उसको बोले भी।

परंतु कुछ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के (जैसे- मानसिक मंद) लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन करना पड़ेगा क्योंकि इसके बिना ऐसे बच्चों का समावेशन मुश्किल कार्य है।

• अध्यापक शिक्षा से संबंधित मुद्दे:

अध्यापक शिक्षा के लिए "समावेशी शिक्षा" का प्रश्न-पत्र जिसका उद्देश्य निःशक्तता को पहचानने एवं निदान करने के लिए अध्यापकों को तैयार करना वैकल्पिक होना।

ऐसे तरीके ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को सामान्य बच्चे से भिन्न कर देते हैं तथा यह धारणा बन जाती है कि ऐसे बच्चों को वही अध्यापक पढ़ा सकते हैं जो विशेषता ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण लिए हैं।

समावेशित शिक्षा का सफलतापूर्वक संचालन करना है तो सामान्य अध्यापक के प्रशिक्षण के कोर्स में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में विस्तृत जानकारी देनी होगी तथा उन्हें ऐसे प्रशिक्षित करना होगा कि उन्हें ही ऐसे बच्चों को भी पढ़ाना है कोई अलग अध्यापक विशेष प्रशिक्षण लेकर नहीं आएगा।

• शोध से संबंधित मुद्दे:

किसी भी क्षेत्र में शोध से पता चलता है कि उस क्षेत्र में कितना काम हो चुका है और कितना बाकी है परंतु हमारे देश में समावेशित शिक्षा में शोध की बहुत कमी है। अतः अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशित शिक्षा में अच्छी शिक्षा देनी है तो शोध के माध्यम से समस्याओं एवं उनके समाधान खोजने की अत्यंत आवश्यकता है।

संदर्भ:

- समावेशी शिक्षा का सृजन- डी.पी.मिश्र, मदन सिंह
- एजुकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन- पांडा के.सी.
- फाउंडेशन कोर्स ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज- इग्रू
- इंक्लूसिव एजुकेशन- यूओयू